अध्याय 7 - प्रकीर्ण

59. अधिकारियों का लोक सेवक होना-- अध्याय 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी तथा अध्याय 4क (अध्याय 4ख) में निर्दिष्ट अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोग सेवक समझा जाएगा।

60. सदभादवर्पूक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण-- (1) इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्णक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या संभाव्यतः होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कर्मचारियों या उसके अधिकारियों या अन्य में से किसी के विरुद्ध न होगी।

(3) इस अधिनियम क अधीन सदभावपूर्णक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4क (अध्याय 4ख) में निर्दिष्ट प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी।

60क. व्यक्तियों का पुरस्कार-- (1) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड या ऐसा दंड जिसका जुर्माना भाग रुप हो, अधिरोपित करता है तो वह न्यायालय, निर्णय देते समय, यह आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने से या अपराधियों को पकड़वाने में सहायता करता है, जुर्माने के आगमों में से, ऐसे जुर्माने से पचास प्रतिशत से अनधिक का पुरस्कार दिया जाए।

(2) जब कि सी मामले का धारा 54 के अधीन शमन किया जाता है तो शमन करने वाला अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने या अपराधियों को पकड़वाने की सहायता करता है, शमन के रुप में स्वीकार की गई धनराशि में से, ऐसी धनराशि के पचास प्रतिशत से अधिक का पुरस्कार दिए जाने का आदेश कर सकेगा।

60ख. राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार-- राज्य सरकार, मुख्य वन्यजीव संरक्षक को, ऐसे व्यक्ति को, जो अपराध का पता लगाने में या अपराधी को पकड़वाने में सहायता करता है, विहित की जाने वाली निधि से और रीति से दस हजार रुपए से अनधिक का पुरस्कार संदत्त किए जाने का आदेश करने के लिए सशक्त कर सकती है।

61. अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति-- (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना सीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा किसी अनुसूची में कोई प्रविष्ट जोड सकेगी या उसमें से हटा सकेगी या किसी अनुसूची के भाग के किसी प्रविष्टि को उसी अनुसूची के किसी अन्य भाग में या एक अनुसूची से किसी अन्य नुसूची में अन्तरित कर सकेगी।

(2) [***]

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने पर सुसंगत अनुसूची को तदनुसार परिवर्तित समझा जाएगा, परन्तु प्रत्येक ऐसा परिवर्तन से पूर्व की गई या न की गई किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

62. कुछ वन्यप्राणियों को पीडकजन्तु घोषित किया जाना-- केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या

अनुसूची 3 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणियों से भिन्न किसी वन्यप्राणी को, किसी क्षेत्र के लिए और ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, पीड़क जन्तु घोषित कर सकेगी और जब तक ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहती है ऐसे वन्यप्राणी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अनुसूची 5 में सम्मिलित कर लिया गया है।

63. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी अर्थात:-

(क) वे शर्तें और अन्य बातें जिनके अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारी धारा 17च के अधीन किसी विनिर्दिष्ट पादप को अपनी अभिरक्षा या कब्जे में रख सकेगा;

(कi) उन सदस्यों से, जो पद में सदस्य हैं, भिन्न सदस्यों क पदावधि, रिक्तियों को भरने की रीति धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और धारा 5क की उपधारा (3) के अधीन उन सदस्यों के भत्ते;

(ख) धारा 38ख की उपधारा (5) के अधीन अध्यख, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति की अन्य शर्तें;

(ग) धारा 38ख की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) वह प्रारुप जिसमें केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 38ड की उपधारा (4) के अधीन तैयार किया जाएगा;

(ड) वह प्रारुप जिसमें और वह समय जब केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट धारा 38च के अधीन तैयार की जाएगी;

(च) वह प्रारुप जिसमें और वह समय जब केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट धारा 38च के अधीन तैयार जी जाएगी;

(छ) वे मानक मापदंड और अन्य बाते जो धारा 38च की उपधारा (4) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए विचारणीय है;

(छi) धारा 38झ की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन विशेषज्ञों या वृत्तिकों की अर्हताएं और अनुभव;

(छii) धारा 38ड की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों के वतन और भत्ते तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें;

(छiii) धारा 38ढ की उपधारा (2) के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें

(छiv) वह प्रारुप जिसमें धारा 38द की उपधारा (1) के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का वार्षिक लेख विवरण तैयार किया जाएगा;

(छv) वह प्रारुप और वह समय जिसमें धारा 38घ के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(छvi) धारा 38य की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन वन्यजी अपराध नियंत्रण ब्यूरो की अन्य शक्तियां

(ज) वह प्रारुप जिसमें धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा की जाएगी;

(झ) धारा 44 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) की अधीन विहित किए जाने वाले विषय;

(ञ) वे निबंधन और शर्तें जो धारा 48 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारो को शासित करेंगी;

(ट) वह रीति जिसे धारा 55 के खण्ड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी जा सकेगी;

(ठ) धारा 64 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषय, जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उपवनों से है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों से ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करते के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्वदोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात, वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

64. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति-- (1) राज्य सरकार उन विषयों की बाबत जो धारा 63 के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपंध कर सकेंगे, अर्थात:-

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन उनसदस्यों से जो पदेन सदस्य हैं, भिन्न सदस्यों की पदावधि, रिक्ति को भरने की रीति और बोंउ द्वारा अनुसरति की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) धारा 6 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट भत्ते;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए, दिए गए या निवेदित आवेदन, प्रमाण पत्र, दावे, घोषणा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, विवरणी या अन्य दस्तावेज के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रारुप और उनके दिए फीस, यदि कोई हो;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र दिया जा सकता है;

(घघ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए न्यायालय में मामले फाइल करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाएगा;

(ड) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वन्यप्राणियों की बाबत रखे जाने वाले या भेजे जाने वाले अभिलेख की विशिष्टियां;

(डड) यह रीति जिससे पशुधन के असंक्रमणीकरण के लिए उपाय किए जाएंगे;

(च) बंदी प्राणियों, मांस, प्राणी-वस्तुओं, ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों के कब्जे, अन्तरण और विक्रय का विनियमन;

(छ) चर्मपूरण का विनियमन;

(छक) वह रीति और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए प्रशासक धारा 58छ की उपधारा (2) के अधीन संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा;

(छख) धारा 58ढ की उपधारा (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष और वन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और अवधि;

(छग) वह निधि जिसमें से और वह रीति जिससे धारा 60ख के अधीन इनाम का संदाय किया जाएगा;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

****65. अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण--** इस अधिनियम की कोई बात अंडमान और निकोबार गजट तारी 28 अप्रैल, 1967 के असाधारण अंक के पृष्ठ 1 से 5 में प्रकाशित अंडमान और निकोबार शासन की अधिसूचना सं. 40/67/एफ नं.जी. 635, खण्ड III, तारीख 28 अप्रैल, 1967 द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में निकोबार द्वीपो की अनुसूचित जनजातियों को आखेट संबंधी प्रदत्त अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

66. निरसन और व्यावृत्तियां-- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी विषय से संबद्ध प्रत्येक अन्य अधिनियम जो किसी राज्य में प्रवृत्त है वहां तक जहां तक की वह अधिनियम या उसका कोई उपबंध का तत्स्थायी या उसके विरुद्ध है, निरसित हो जाएगा:

परन्तु ऐसा निरसन--

(i) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के पूर्व-प्रवर्तन पर अथवा इसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा;

(ii) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डलेगा;

(iii) इस प्रकार निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बावत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(iv) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा, तथा ऐसी कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ऐसे

संसिथत किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण और दंड ऐसे अधिरोपित किया जासकेगा, मानो पूर्वोक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी--

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई बात या कार्यवाही जिसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना, आदेश, प्रमाण पत्र, सूचना, रसीद किया गया आवेदन या दी गई अनुज्ञा भी है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त था जब ऐसी बा या कार्यवाही की गई थी, तब वह जब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती ;

(ख) इस प्रकार निरसित तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दी गई समझी जाएगी तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस अवधि के अनवसित भाग के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी, प्रवृत्त बनी रहेगी।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के अधीन निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित, यथास्थिति, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन हैं, तथा जहां किसी ऐसे राष्ट्रीय उपवन में किसी भूमि में या उस पर कोई अधिकार इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन निर्वापित नहीं हुआ था वहां ऐसे अधिकारों का निर्वापन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(4) शंकाओं के निवारण के लिए यह और घोषित किया जाता है कि जहां वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ की तारीख को धारा 19 से धारा 25 के (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित है) किसी उपबंध के अधीन कोई कार्यवाही लंबित है, वहां ऐसे प्रारंभ की तारीख से पूर्व अभ्यारण्य के रुप में धारा 18 के अधीन घोषित किसी अभ्यारण्य के भीतर समाविष्ट किसी आरक्षित वन या राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 26क के अधीन घोषित अभ्यारण्य है ।

-----00----